प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

एकल पीठ – माननीय श्री आर. चन्द्राकर, न्यायमूर्ति

दाण्डिक अपील क्रमांक 1313/2003

अपीलार्थीगण मोहम्मद असलम एवम अन्य

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय घोषित किए जाने हेतु दिनांक -02.09.2009 को सूचीबद्ध करे।

सही/-

आर.एन.चन्द्राकर

न्यायमूर्ति

सही/-

न्यायमूर्ति

2.9.2009

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1313/2003

अपीलार्थीगण:	1. मोहम्मद असलम, पिता -मोहम्मद हनीफ, उम्र 29 वर्ष निवासी - पुराना माइंस पोंडी, थाना- पोंडी, जिला कोरिया 2. हारून रसीद उर्फ़ राजू, पिता- मोहम्मद इज़रायल, उम्र 26 वर्ष, निवासी - पश्चिम चिरमिरी, पोंडी , थाना - पोंडी, जिला- कोरिया 3. नियाज़ अहमद, पिता - इमामुद्दीन, उम्र 26 वर्ष, निवासी- पोंडी कॉलरी, थाना- पोंडी, जिला कोरिया 4. पापू उर्फ भृगुनाथ, पिता - रामप्यारे सिंह, उम्र 26 वर्ष, निवासी- चीफ माइंस पोंडी थाना - पोंडी, जिला. कोरिया
विरुद्ध	
प्रत्यर्थी	छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला दंडाधिकारी बैकुंठपुर, जिला – कोरिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता 1973, धारा 374 (2) के तहत दाण्डिक अपील)

एकल पीठ – माननीय न्यायमूर्ति आर.एन.चन्द्राकर

अपीलार्थी क्रमांक 1,3 एवम 4 की ओर से	श्री प्रफुल्ल भारत, अधिवक्ता
अपीलार्थी क्रमांक 2 की ओर से	श्री डी.एन.प्रजापति, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	श्री समीर बेहार, पैनल अधिवक्ता

निर्णय

(दिनांक - 2 सितम्बर, 2009 को पारित)

1. अपीलकर्तागण, सत्र प्रकरण क्रमांक 285/2003 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बैकुंठपुर, जिला कोरिया द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2-12-2003 से व्यथित होकर, जिसमें अपीलकर्तागण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (जी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उन्हें दस साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 1000/- रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई गई थी, जुर्माना अदा न करने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई थी, जिसके विरुद्ध यह अपील दायर की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 26-6-2003 को अभियोक्त्री गुलाबी बाई उर्फ़ मधु गोसाईं ब्लाउज सिलवाने के लिए पप्पू टेलर की दुकान पर गई थी। उसी समय दुकान मेंमौजूद आरोपीगण उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे, जिस पर उसने उन्हें गाली दिया। जब वह अपने दोस्त के घर जा रही थी, रास्ते में सभी आरोपीगण उससे मिले और उसे जंगल में नाले की ओर खींच लिया और सभी आरोपीगण ने उसके साथ जबरदस्ती लैंगिक संभोग किया। आरोपी नियाज ने उस पर छड़ी से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप अभियोक्त्री के बाएं अंगूठे पर चोट आई। इसके बाद, अभियोक्त्री ने थाना जाकर आरोपीगण /अपीलकर्तागण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर प्रद्युम्न तिवारी (अ. सा.13) थाना प्रभारी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.01) दर्ज की प्रकरण की जांच की गई और

उन्होंने अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया, अभियोक्त्री को चिकित्सी परीक्षण हेतु अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने अभियोक्त्री का पेटीकोट और अंडरवियर जब्त कर लिया और उसे रासायनिक जांच के लिए एफएसएल, रायपुर भेज दिया।

3. जाँच पूरी होने के बाद, अभियुक्तगण/अपीलकर्ता के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसने मामले को सत्र न्यायालय को अर्पित किया। अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तगण /अपीलकर्तागण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2)(घ) के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। अभियुक्तगण /अपीलकर्तागण ने अपना दोष अस्वीकार किया। विधिवत विचारण के बाद, अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तगण /अपीलकर्तागण को निर्णय के कंडिका 1 में उल्लिखित अनुसार दोषी ठहराया और दंडादेश दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद, अभियुक्तगण/अपीलकर्तागण के बयान सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोप से इनकार किया और कहा कि वे निर्दोष हैं और उन पर झूठे आरोप लगाया गया है।

5. अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्तागण को दोषी ठहराने में गलती की है। विचारण न्यायालय ने अभियोक्त्री गुलाबी बाई (अ.सा.04) के स्वीकारोक्ति पर विचार करने में विफल रहा है, जहां उसने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया था कि अदालत में मौजूद आरोपीगण असली अपराधी नहीं थे। विचारण न्यायालय ने केवल

एफआईआर के आधार पर अपीलकर्तागण को दोषी ठहराने में भी गलती की है, हालांकि न तो एफआईआर एक सारवान साक्ष्य है और न ही आरोपीगण को अन्य ठोस सबूतों के अभाव में उसमें उल्लिखित तथ्यों पर दोषी ठहराया जा सकता है। विचारण न्यायालय यह विचार करने में विफल रहा कि गुलाबी बाई (अ.सा.04) ने स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया था कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपीगण का नाम नहीं लिया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि विचारण न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि न्यायालय के समक्ष भी अभियोक्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि न्यायालय में मौजूद आरोपीगण ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया था। विचारण न्यायालय को यह देखना चाहिए था और यह मानना चाहिए था कि गुलाबी बाई (अ. सा.04) ने स्वीकार किया था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को थाना प्रभारी द्वारा लिखा गया था और उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. यह भी दलील दी गई है कि विचारण न्यायालय को यह देखना और मानना चाहिए था कि डॉ. श्रीमती लक्ष्मी (अ.सा.05) ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्हें अभियोक्त्री पर बलात्कार के कोई लक्षण नहीं मिले। यह भी दलील दी गई है कि विचारण न्यायालय को यह देखना और मानना चाहिए था कि थाना प्रभारी प्रदुम्न तिवारी (अ. सा.13) की अपीलकर्तागण से दुश्मनी थी क्योंकि वे अखबारों में काम करते थे और उनके खिलाफ कुछ खबरों के लिए जिम्मेदार थे। विचारण न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि अभियोजन पक्ष के ज्यादातर गवाहों ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया था। विचारण न्यायालय यह विचार करने में विफल रहा कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्तागण का अपराध साबित करने में पूरी तरह

विफल रहा है। विचारण न्यायालय अनुमान और अटकलों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचा है। विचारण न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 और 60 के प्रावधानों को पूरी तरह से नजर अंदाज कर दिया है। विद्वान अधिवक्ता ने अंत में दलील दी कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश को रद्द किया जाए और अभियुक्त/अपीलकर्ता को आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

7. अभियोजन/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के विवादित आक्षेपित के समर्थन में बहस की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात् मैंने विचारण न्यायालय के अभिलेखों तथा आक्षेपित निर्णय का भी अवलोकन किया है।

9. अभियुक्तगण/अपीलकर्तागण के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों का साक्ष्य कराया।

10. अभियोक्त्री अ.सा 04 गुलाबी बाई ने अदालत के समक्ष उपस्थित अभियुक्तों को पहचानने से इनकार कर दिया और गवाही दी कि उसके साथ बलात्कार किया गया था, लेकिन अभियुक्तगण उन व्यक्तियों में शामिल नहीं थे जिन्होंने उसके साथ अपराध किया था। उसने आगे पूरी कहानी की पुष्टि की और एफआईआर (पी/8) को स्वीकार किया लेकिन इस बात से इनकार किया कि एफआईआर उसे पढ़कर सुनाई गई थी। उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और अभियोजन पक्ष द्वारा सूचक प्रश्न पूछे गए, जिसमें उसने

एफआईआर में अभियुक्तगण के नामों का उल्लेख करने से भी इनकार कर दिया। उसने कंडिका 4 में स्पष्ट रूप से कहा कि अभियुक्तगण के नामों को छोड़कर, एफआईआर में उल्लिखित सभी तथ्य वैसे ही लिखे गए थे जैसे उसने बताए थे। अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत के समक्ष अभियुक्तगण की ओर इशारा करने पर, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उनमें से कोई भी उन व्यक्तियों में शामिल नहीं था जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया था। अपने प्रति परीक्षण में, उसने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को बताया था कि वह अभियुक्तगण को नहीं पहचानती इसके बाद, थाना प्रभारी ने उसे वहाँ बैठने को कहा, वह कही चला गया और 1 घंटे बाद वापस आया, उसके बाद थाना प्रभारी ने रिपोर्ट लिखी और उस पर उनके हस्ताक्षर लिए। उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि एफआईआर में लिखे गए लोगों के नाम उन्हें पढ़कर नहीं सुनाए गए। इस तरह, अभियोक्त्री का बयान अविश्वसनीय है, क्योंकि यह एफआईआर की मूल भावना से अलग है, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से एफआईआर में आरोपीगण के नामों का उल्लेख करने से इनकार कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अ.सा. 01 राजाराम और अ. सा. 02 संतरा बाई अभियोक्त्री के माता-पिता, भी पक्षद्रोही हो गए और अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया। दोनों गवाहों ने कहा कि घटना की सूचना उन्हें पुलिस ने दी थी। उनसे पूछे गए सूचक प्रश्नों में, उन्होंने लगभग सभी बातों का खंडन किया और स्वीकार किया कि अभियोक्त्री ने उन्हें अभियुक्तगण के नाम नहीं बताए थे। उन्होंने पुलिस को कोई भी बयान देने से भी इनकार किया। इस प्रकार, उनके बयानों की विश्वसनीयता भी समाप्त हो जाती है।

12. अ.सा. 14 शौकी गिरी ने अपने बयान में कहा कि वह अभियोक्त्री गुलाबी बाई को जानता था क्योंकि वह उसके घर में रहती थी। उसने कंडिका-3 में यह भी कहा कि अभियोक्त्री के पिता ने उसे थाना चलने के लिए कहा था, लेकिन उसे यह नहीं बताया गया कि चारों आरोपीगण ने उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया था। उसने आगे कहा कि यह कहना गलत है कि थाने में अभियोक्त्री गुलाबी बाई ने उसे बताया था कि आरोपी असलम, हारुन रसीद, नियाज़ अहमद और पप्पू ने जंगल में उसके साथ बलात्कार किया था। इस प्रकार, इस गवाह ने भी अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अ.सा 03 डॉ. विनय जायसवाल ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने अभियुक्त पप्पू उर्फ भृगुनाथ, पिता रामप्यारे का परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 7 प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने पाया कि अभियुक्त में नपुंसकता का कोई लक्षण नहीं था और वह लैंगिक संभोग करने में सक्षम था। उन्होंने यह भी कहा कि अभियुक्त के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं पाया गया।

14. अ.सा.05 डॉ. श्रीमती लक्ष्मी, जिन्होंने अभियोक्त्री का परीक्षण किया था, और कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.08 और प्रदर्श पी.09 प्रस्तुत की और कहा कि अभियोक्त्री यौन संबंध बनाने की आदी थी और बलपूर्वक यौन संबंध बनाने के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। यहाँ तक कि उन्हें अभियोक्त्री के शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट भी नहीं मिली। इस प्रकार, चिकित्सीय साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं करते। डॉक्टर ने अभियोक्ता के योनि द्रव की स्लाइड तैयार की

और उसकी रासायनिक जाँच की सलाह दी, लेकिन इस मामले में एफएसएल की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई।

15. अ.सा./6 वह पटवारी है जिसने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया था। अ.सा./8 राजेंद्र तिवारी, अ.सा./9 हीरा सिंह, अ.सा./10 दीपक कुमार, अ.सा./11 तुलाराम और अ.सा./12 आर.पी. कुजूर जब्ती के गवाह हैं जो पक्षद्रोही हो गए। अभियोक्त्री और उसके माता-पिता के साक्ष्य को देखते हुए उनके साक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं हैं।

16. थाना प्रभारी, अ.सा./13 प्रद्युम्न तिवारी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की और मामले की जाँच की। हालाँकि उन्होंने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन किया, लेकिन अभियोक्त्री की गवाही के मद्देनजर उनके साक्ष्य का भी कोई महत्व नहीं है। जिसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन में अभियुक्तों के नाम बताने और अदालत के समक्ष उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विश्वनाथन बनाम राज्य**[1] के प्रकरण में यह टिप्पणी की है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में लगाए गए आरोप साक्ष्य नहीं हैं। बिना किसी शिनाख्ती के या अदालत में अभियुक्तों की पहचान किए बिना, उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

18. इस प्रकरण में भी, अभियोक्त्री ने अदालत में अभियुक्तगण की पहचान करने से इनकार किया। जहाँ तक एफआईआर में अभियुक्तगण के नाम दर्ज

[1] (2008) 5 एस.सी.सी 354

करने का सवाल है, अभियोक्त्री ने एफआईआर में उनके नाम दर्ज करने से साफ़ इनकार किया।

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राधू बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[2] में यह टिप्पणी की थी कि यदि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ने पर वह विसंगतियों से भरा है और विश्वास पैदा नहीं करता है, तो उसे अन्य गवाहों द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता है।

20. इस प्रकरण में भी अभियोक्त्री के साक्ष्य में कई खामियाँ और विसंगतियाँ हैं और उसके बयान की पुष्टि उसके माता-पिता द्वारा भी नहीं की गई है। इसके अलावा, उसके साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य से भी नहीं हुई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने और अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री और अभियोजन पक्ष के लगभग सभी गवाहों ने पक्षद्रोही हो गए है और अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण /अपीलकर्तागण को अनुमान और अभियोजन पक्ष की अविश्वसनीय गवाही पर भरोसा करने के आधार पर दोषी ठहराया, जिसकी पुष्टि न तो उसके माता-पिता द्वारा और न ही चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा की गई है। विचारण न्यायालय यह विचार करने में विफल रहा कि संदेह, हालांकि मजबूत है, सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। वर्तमान प्रकरण में, अभियोक्त्री ने खुद न्यायालय में आरोपीगण की पहचान करने से इनकार कर दिया और साथ ही उसने एफआईआर दर्ज करने के समय पुलिस को

---

[2] (2007) 12 एस.सी.सी 5

आरोपीगण के नामों का खुलासा करने से भी इनकार कर दिया और उन्हें केवल एफआईआर जो सारभूत साक्ष्य नहीं है के आधार पर दोषीसिद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण /आरोपीगण के विरुद्ध सभी उचित संदेहों से परे मामला स्थापित करने में पूरी तरह विफल रहा है, क्योंकि अभियोक्त्री द्वारा उनकी पहचान नहीं की गई थी और अभियोक्त्री का बयान अविश्वसनीय होने के कारण विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के स्थापित सिद्धांतों और पूर्वोक्त आधारों के आलोक में, यह अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है और अपीलकर्तागण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (घ) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो, तो उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाएगा। उनके जमानती बंधपत्र उन्मोचित किए जाएँगे। यदि जुर्माना अदा किया गया हो, तो अपीलकर्ताओं को तत्काल वापस किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

आर.एन.चन्द्राकर

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नही किया जाएगा। समस्त कार्यालीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित मन जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By .....Mrs. Shubha Shrivastava

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur